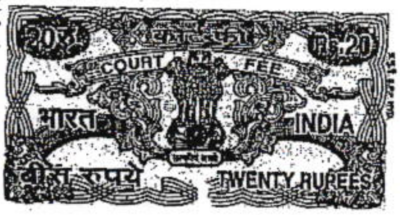

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. भगवानदास पिता रामप्रसाद पटैल
2. फूलचंद पिता रामप्रसाद पटैल
3. सीताराम पिता रामप्रसाद पटैल
4. नरेन्द्र कुमार पिता रामप्रसाद पटैल
5. भुवानी पिता रामप्रसाद पटैल

साकिन पिपरिया तह. व जिला सागर

....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. राजाराम पिता कनई
2. जमनाप्रसाद पिता कनई
3. महेश पिता कनई
4. सुरेश पिता कनई
5. दमोदर पिता कनई
6. अमन पिता कोमल
7. राकेश पिता कोमल
8. सुमन पिता कोमल
9. नत्थीबाई पिता कनई
10. मुन्नी पिता कनई
11. दुर्गा पिता कनई
12. बिला पिता कनई
13. हीराबाई पिता कनई
14. यशोदाबाई उर्फ फूलरानी बेवा कनई
15. नर्मदा प्रसाद पिता सुन्दरलाल
16. तुलसीराम पिता सुन्दरलाल
17. संतोष पिता सुन्दरलाल
18. पार्वती पिता सुन्दरलाल
19. लीलाबाई पिता सुन्दरलाल
20. मिन्दाबाई पिता सुन्दरलाल
21. बृजरानी बेवा सुन्दरलाल

सभी निवासी पंतनगर वार्ड तह. व जिला सागर

.........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमाँक 656/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दि. 13–04–2016 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम कनेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 63, 64/1 रकवा कमशः 3.039, 5.748 हे0, प0ह0नं0 63 तहसील व जिला सागर आवेदकगण एवं मृतक कनई, सुन्दरलाल एवं अन्य खातेदारों के नाम से राजस्व अभिलेख में शामिल शरीक दर्ज था। खसरा में आवेदकगणों का नाम उल्लेखित होने के उपरांत भी उन्हें आवश्यक पक्षकार की हैसियत से पक्षकार बनाये बिना उनके कयशुदा भूमि को भी सम्मलित करते हुए फौती नामांतरण की कार्यवाही किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रहीं है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-9101/I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-6-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित होकर धारा 152 व्य.प्र.संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकार भगवानदास व अन्य विरूद्ध राजाराम व अन्य प्र.क्र. निग.—1733 / I / 16 आदेश दिनांक 24.05.2016 में आदेश पारित किया गया है जिसके निगरानी मीमो में प्रकरण क्र. 656 / बी—121 / 2014—15 आदेश दिनांक 13.04.2016 त्रुटिपूर्ण लेख हो गया है जिसकी प्रति नेट पर प्रदर्शित की गई है जिसका सुधार करते हुए सही प्रकरण क्रमांक 173 / अ / 6 / 2015—16 आदेश दिनांक 29.02.2016 निगरानी मीमो में सुधार की अनुमति चाही है। मैंने पारित आदेश का अवलोकन किया। उपरोक्तानुसार सुधार मान्य करते हुए प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। यह आदेश पत्रिका दिनांक 24.05.16 का अंग माना जायेगा। सदस्य	

[कृ. प. उ.